न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 163/2023

1. सरदार पुत्र मेवाराम उम्र करीबन 53 वर्ष
2. घीसाराम पुत्र मेवाराम उम्र करीबन 50 वर्ष
3. शिवराज पुत्र मेवाराम उम्र करीबन 40 वर्ष सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम डिडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

निर्णय दिनांक 08.09.2025

• संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वभाविक है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा गुर्जर की कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग एवं गैरखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम डीडवाडा पटवार हल्का डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है। वर्तमान खसरा संख्या 1413 रकबा 0.7281 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त है जिसमें प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी (लादू पुत्र नन्दा) के समय से ही काबिज काश्त है, जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा को भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा दिनांक 26.01.1971 को ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ के उपरोक्त खसरा नम्बर में गैरखातेदारी अधिकारी प्रदान कर पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग का जारी कर दिया इसके पूर्व तहसीलदार महोदय, श्री जगदीश नारायण द्वारा तहसील कार्यालय से पत्र क्रंमाक 01–108 दिनांक 14.05.19 8 को लादू पुत्र नन्दा बतौर राशि जमा कराने बाबत् पत्र प्रदान किया गया उसके पश्चात् प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा द्वारा उक्त आराजीयात का प्रीमियम रकम 1.41 जूमले 4.25 रूपये जमा करा दिये गये थे। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा गैरखातेदारी अधिकार देने के पूर्व और बाद में लगातार काबिज काश्त करते आ रहे थे एवं लादू की मृत्यु दिनांक 15.02.1982 को हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण ही उक्त आराजीयात में काबिज काश्त करते आ रहे है। अप्रार्णी एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग के आधार पर राशि जमा कराने के पश्चात् भी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया जिसके कारण आज दिन तक वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में श्री सरकार के नाम इन्द्राज है। जबकी प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने से पूर्व व पश्चात् काबिज क्राश्त करते आ रहे है जिसके प्रमाण के लिये पी–14 (खसरा परिवर्तनशील) सम्वत 2025 से 2035 व अन्य वर्षों की पेश है जिसमें फसल काश्त इन्द्राज है। उक्त भूमि धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि नहीं है जिसकी किस्म बारानी प्रथम है एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एवं प्रार्थीगण सद्भाविक कृषक है प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा के उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है, भूमिहीन काश्तकार होने से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 26.01.1971 को वर्णित आराजीयात बाबत् गैरखातेदारी अधिकार प्रदान कर पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग का दिया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग के समय दी गयी गेरखातेदारी एवं खातेदारी जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है उस बाबत् राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 20 (1–क) अजमेर जिले के लिये संशोधन कर नियम पारित किया गया है इन नियमों में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद अजमेर जिले में 1970 से 1972 की अवधि में भू–अभिलेख संशोधन की प्रक्रिया के दौरान जिन किसानों को खातेदारी / गैरखातेदारी अधिकार प्रद्वत्त किये गये थे एवं पश्चातवर्ती जिनके खातेदारी अधिकार निरस्त किये गये थे एवं भूमि का राजस्व अभिलेखों में अभिलेखन सिवायचक के रूप में किया गया था, में सलाहकार समिति के परामर्श पर उपखण्ड अधिकारी ऐसी भूमि को ऐसे किसानों के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

15 बीघा तक नियमन करेंगे। किन्तु ऐसे मामलें में जहा पर भूमि 15 बीघा से अधिक है के सम्बन्ध 1.01.2000 पर उनके वयस्क के पक्ष में, अधिक भूमि का नियमन किया जायेगा और ऐसी भूमि की ष्टि उनके संयुक्त काश्तकारी में की जायेगी। जबकी प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के ंग राजस्व कैम्प प्रत्येक पंचायत स्तर पर आयोजन किया जाता है परन्तु आज दिन तक ऐसी भूमियों बाबत् आवंटन नियमन नहीं किया गया है जबकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व कैम्प में समस्त अधिकारीयों को निर्देशित किया गया है जो वर्षों से काबिज भूमियां है जिस पर लगातार काश्त की जा रही है धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियां नहीं है उनका आवंटन / नियमन किया जाना आवश्यक है एवं गैरखातेदारी /खातेदारी अधिकार का भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आदेश है तो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर लगातार कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है, उक्त भूमि विधि, नियमों, परिपत्रो के अनुरूप भूमियां है प्रार्थीगण सद्भाविक काश्तकार है। जो विधिक रूप से उक्त भूमि में खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में गेरखातेदारी अधिकार का पर्चा जारी कर दिया एवं जारी करने के पश्चात् उक्त आदेश का गेरखातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड (पी–14) खसरा परिवर्तनशील में विवरण विशेष कॉलम संख्या 15 में गैरखातेदारी एवं सम्वत 2027 की पी–14 खातेदारी इन्द्राज अंकन किया गया है जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2041 में अमल, इन्द्राज किया जाना आवश्यक था चूंकि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है उस समय जमाबन्दी नहीं बनी थी पहली बार जमाबन्दी सम्वत् 2041 में तैयार की गयी थी। उसमें राजस्व कर्मचारीयों एवं अप्रार्थी का राजकिय कर्तव्य होने के बावजूद भी दायित्वों का निर्वहन नही करने से वर्णित भूमि आज दिन तक राजस्व रिकार्ड में बारानी प्रथम सिवायचक दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई काश्तकार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है एवं सद्भाविक है जो वह अतिक्रमी ना होकर एक काश्तकार के रूप में माना जायेगा एवं कब्जायत भूमि में स्वतः अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जो आर.बी.जे. 1995 पार्ट–2, पेज नं0 460 राजस्थान सरकार बनाम पदमावती देवी व अन्य सिविल अपील संख्या 2896/1981 में माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहतर पीठ द्वारा प्रतिपादित किया "कि यदि राजकीय भूमि पर काबिज व्यक्ति अपने कब्जे बाबत सद्भावना पूर्वक विवाद उठाता है वहां धारा 91 के प्रावधानो का उपयोग नहीं किया जा सकता है।" इसी प्रकार राजस्व मण्डल द्वारा सद्भाविक व्यक्ति के लिये आर.बी.जे. 2004 पेज नं0 83 में अभिनिर्धारित किया गया है Rajsthan Land Revenue Act- 1956 Sec- 91-When Person in Occupation of Land Raises Bonafide Dispute Provisions of this Sections Cannot be Invoked. प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कारीबन 40–45 वर्षों से काबिज काश्त है जिसके बाबत् राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 क्रमाक / प० 6 (39) राज06/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को परिपत्र जारी किया गया की "चारागाह/सरकारी भूमि के नियमन के लिए शर्त है कि गत दो वर्षों का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिये इसके स्थान पर यदि पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावें" राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो में कलैक्टर अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि भू–संशोधन के अवशेष के प्रकरण मानते हुये सन् 1999 में आदेश पारित किये कि लगातार काबिज काश्त काश्तकारों को नियमन करने अथवा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा अनुशंषा करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार अर्थात अप्रार्थी द्वारा विधि के तहत कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थीगण को अथवा इनके पूर्वाधिकारियो को नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये है। इसके लिये अप्रार्थी का उत्तरदायित्व है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थीगण अनुतोषदायी है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त आराजी में अथाह आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके भूमि को उपजाउ योग्य तैयार किया गया है। जो सुधार कि श्रेणी में आता है। फिर भी अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुधारपंजिका दि जाती है। जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा किये गये सुधार का विवरण दिया जाता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा सुधार पंजिका में भी उल्लेखित नहीं किया गया है। इस कारण से अप्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लक्षण प्रकट होते है एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी अर्थात पटवारी हल्का को भी घटना बही पंजिका राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदत्त कि जाती है। जिसमें समस्त काश्तकारों एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित व्यक्तियों कि जानकारी रखी जाती है। परन्तु सरकार द्वारा प्रतिपादित विधियों का निचले स्थर पर सही क्रम में अर्थात विधिक क्रम में कार्यवाही नहीं करने से लम्बे अर्से से काबिज, सद्भाविक काश्तकार विधिक अनुतोष प्राप्त करने से वंचित रह जाते है जिसका मुख्य कारण अप्रार्थी के विधिक दायित्वो का सही निर्वहन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी एक सद्भाविक कृषक व भूमिहीन व्यक्ति वाद वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

समय से विगत 50–55 वर्षों से काबिज काश्त रहकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थीगण वर्णित आराजी में काबिज रहने का अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान है। प्रार्थीगण एवं पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण पिछडी जाति का निम्न श्रेणी का व्यक्ति है एवं सतत् रूप से वर्णित आराजी में काबिज काश्त होने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) प्रावधान किया गया है कि "15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिये सामान्य श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण से, पडौस में स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य से प्रसारित किया जायेगा यदि वे अतिक्रमी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडी जाति/गरीब रेखा श्रेणी से निचे से सम्बन्धित हो" इस प्रकार प्रार्थीगण पूर्णत इन नियमो का पालना सतत् रूप से किया जा रहा है एवं पीछडी जाति से सम्बन्ध रखता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में प्रत्येक वार्षिक वर्ष की समाप्ति अथवा मध्यान्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व केम्प का आयोजन किया जाता है ऐसे कैम्प के अनुसार ऐसी भूमियों बाबत् आंवटन नियमन किया जाना ऑवश्यक था परन्तु अप्रार्थी द्वारा केवल औपचारिकता पूर्ण धारा 91 की कार्यवाही कर जुर्माना ताईद करने के पश्चात् बेदखली के आदेश केवल मात्र दस्तावेजी रिकार्ड में किया गया है जबकी वास्तविक रूप से प्रार्थीगण वर्णित आराजी में सतत् रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 50–55 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थीगण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए, में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विंसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में वाद वर्णित आराजी की खातेदारी की प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने के प्रार्थीगण कानूनन् अधिकारी है, उपरोक्त भूमि आवंटन / नियमन योग्य भूमि है जो आवंटन / नियमन रूल्स से अधिक भूमि भी नहीं है अर्थात आवंटन / नियमन के सम्बन्धित नियम व शर्तों के अनुरूप है एवं प्रार्थीगण आवंटन / नियमन अथवा खातेदारी उद्घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय विगत 50–55 वर्षों से निरन्तर रूप से अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान होने के बावजूद काबिज काश्त है। जिसका प्रमाण पी–14 की प्रमाणित नकल प्रमाण हेतु प्रस्तुत है इस प्रकार प्रार्थीगण सतत् रूप से काबिज होने से अप्रार्थी का राजकिय दायित्व था कि प्रार्थीगण का नियमन प्रकरण तैयार कर आंवटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में वर्णित आराजीयात आंवटन/नियमन की जा सकती थी। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 91 की कार्यवाही करने के पश्चात् लम्बे अर्से से काबिज होने का प्रमाण सिद्ध होने के पश्चात् भी आंवटन / नियमन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 50–55 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है। इस कारण से प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज.–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। आर०आर०टी० 2007 पार्ट सैकिण्ड पेज नम्बर 1041 उपरोक्त नजीरों में माननीय राजस्व मण्डल एंव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि पैतृक सम्पत्ति में मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र, पुत्री न होने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है अथवा उपरोक्त वर्णित आराजी में धारा 63 (1) (4) के तहत लगातार कब्जा काश्त रहने पर अर्थात प्राईवेट परसन कि आराजी में 12 साल की अवधि एंव श्री सरकार अर्थात सिवायचक भूमि में लगातार 30 वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा काश्त सिद्ध होने पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदत्त की डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

र्णित की गयी है, माननीय राजस्व मण्डल की वृद्धपीठ ने अभिनिर्धारित किया बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह आर०आर०डी० 1991 पृष्ठ संख्या 1– कि लगातार कब्जा काश्त होने पर अतिचारी को भी खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 50–55 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेदखल, मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे। वाद कारण दिनांक दिनांक 03.07.2023 को जब उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात में कृषकिय कार्य कर रहे थे तब तहसीलदार के अधिनस्थ कर्मचारी मौके पर आये और उपरोक्त भूमि श्रीसरकार के नाम होने से प्रार्थीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकी दी तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चूंकि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा के पक्ष में गेरखातेदारी का पर्चा जारी किया गया है एवं अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से करीबन 50–55 वर्षो से मौके पर काबिज काश्त है फिर भी अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण को मौके से बेखदल करने पर आमादा है उक्त अपने अवैध मन्सुर्वे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नही होगा। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लादू पुत्र नन्दा गुर्जर की कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग एवं गैरखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम डीडवाडा पटवार हल्का डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है। वर्तमान खसरा संख्या 1413 रकबा 0.7281 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने एवं किसी अन्य व्यक्ति, सस्था को आवटन / नियमन नहीं करने अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी व इसके नौकर, चाकर, अधिनस्थ कर्मचारीयो आदि तो अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2023 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होकर सिवायचक भूमि है जिससे राजहित प्रभावित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

दिनांक 08.09.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner